

मुकदमा नम्बर 08/2020

जगदीशप्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति महेश्वरी बाहेती निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर  
-वादी-

-बनाम-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़
2. राजेन्द्रकुमार पुत्रगण ख्यालीराम निवासी श्रीडूंगरगढ़
3. राधेश्याम जाति महेश्वरी बाहेती तहसील श्रीडूंगरगढ़
4. श्यामसुन्दर
5. आसकरण
6. सुशीलकुमार
7. बालकृष्ण पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राह्मण (व्यास)

-प्रतिवादी-

उपस्थिति:-

1. श्री राजूराम बाना अभिषेक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 स्वयं उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही।

दावा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी संपत्ति धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

यह वाद जगदीश प्रसाद ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से खेत खसरा नम्बर 1024/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर रोही जैतासर में स्थित है उक्त खेत के चारो तरफ तारबन्दी की हुई है एवं मौके पर सीमाएं कायम हैं। वादगत खेत पुराने खसरा नम्बर 788 से बना है खसरा नम्बर 788 से नये खसरा नम्बर 1024/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1026/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1027/788 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1021/788 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1022/788 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1107/788 तादादी 4.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105/1023 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1106/788 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1104/1023 तादादी 0.2500 हैक्टेयर कायम हुए हैं वादगत खेतों के खसरानों की राजस्व रिकार्ड में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के खेतों की सीमाएं संलग्न नक्शे के अनुसार लाल रंग से दर्शायी अनुसार है। उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कायम है एवं सीमा कायम कर रखी है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी। वादगत खेत खसरा नम्बर 1024/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1026/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1027/788 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1021/78 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1022/788 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1107/788 तादादी 4.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105/1023 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1106/788 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1104/1023 तादादी 0.2500 हैक्टेयर की मौके पर सीमाएं एवं कब्जा काश्त कायम है जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा मौके कब्जे एवं सीमाओं के बिल्कुल विपरीत है। जिसको वादी मौके कब्जे एवं कायम सीमाओं के अनुसार करवाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 15.21.2019 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जिसको वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी के खरीद के समय वादगत खेतों की सीमाओं की तरमीम नहीं थी। विक्रय पत्रों में दर्ज आसे पासे एवं तादादी के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में दर्ज होना था लेकिन नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है जिसको राजस्व नक्शों में मौके कब्जे काश्त एवं कायम सीमाओं के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। वादी के खेतों के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं कायम सीमाओं के विपरीत होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वादी की भूमि रोही जैतासर में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

Wij

उपखण्ड अधिकारी



अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानों का निवेदन किया है कि:-

(क) कि रोही जैतासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 1024/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1025/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1026/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1027/788 तादादी 3.7900 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1021/78 तादादी 0.0100 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1022/788 तादादी 0.0100 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1107/788 तादादी 4.6000 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1105/1023 तादादी 4.6800 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1106/788 तादादी 0.2500 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1104/1023 तादादी 0.2500 हैक्टैयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं कायम सीमाओं के अनुसार घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि रोही जैतासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 1024/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1025/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1026/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1027/788 तादादी 3.7900 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1021/78 तादादी 0.0100 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1022/788 तादादी 0.0100 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1107/788 तादादी 4.6000 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1105/1023 तादादी 4.6800 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1106/788 तादादी 0.2500 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1104/1023 तादादी 0.2500 हैक्टैयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं कायम सीमाओं के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।


वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 स्वयं उपस्थित आये एवं इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही। प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया कि रिकार्ड व मौका के अनुसार संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है। गत बन्दोबस्त के समय मौका स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं की गयी थी। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

#### निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1024/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1025/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1026/788 तादादी 4.8700 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1027/788 तादादी 3.7900 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1021/78 तादादी 0.0100 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1022/788 तादादी 0.0100 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1107/788 तादादी 4.6000 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1105/1023 तादादी 4.6800 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1106/788 तादादी 0.2500 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1104/1023 तादादी 0.2500 हैक्टैयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं कायम सीमाओं के अनुसार करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करे।

निर्णय आज दिनांक 19.9.2021 को सरे इजलास मेर द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।



  
(दिव्या)  
उपस्थान्त अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बोकानेर)  
श्रीडूंगरगढ

**डिकी मुकदमें इन्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूंगरगढ**  
पीठासीन अधिकारी:- दिव्या (आर.ए.एस.)  
उनवान

जगदीश प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति महेश्वरी बाहेती निवासी श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला  
बीकानेर

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ 2. राजेन्द्र कुमार 3. राधेश्याम 4. श्यामसुन्दर 5. आसकरण 6.  
सुशील कुमार पुत्रगण ख्यालीराम जाति महेश्वरी बाहेती निवासीगण श्रीडूंगरगढ 7. बालकृष्ण पुत्र  
प्रेमसुख जाति ब्राह्मण (व्यास) निवासी श्रीडूंगरगढ

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 131, 136 राजस्थान भू-रा0 अधि.1956

निर्णय दिनांक: 19.03.2021

मुकदमा नम्बर 08/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से राजूराम  
बाना मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी सं. 02 ता 06 की स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 7 के विरुद्ध  
एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर  
1024/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1025/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर  
1026/788 तादादी 4.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1027/788 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर  
1021/78 तादादी 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1022/788 तादादी 0.0100 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1107/788  
तादादी 4.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105/1023 तादादी 4.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1106/788 तादादी  
0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1104/1023 तादादी 0.2500 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे  
एवं कायम सीमाओं के अनुसार करने के आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार  
श्रीडूंगरगढ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करे।

लीज..0..मुबलिग..0..बाबत..0..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह..0..फीसदी सालाना आज को  
जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 19 माह 03 सन् 2021 को जारी किया  
गया ।



वाद के खर्चे

@wje  
(दिव्या)

**उपखण्ड अधिकारी**  
श्री डूंगरगढ (बीकानेर)

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	व	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस
7.आदेशिका की तामिल	0	
योग	0	योग
		0

@wje